गैरजमानती वॉरंट के बाद बिजली चोर मकदूम गिरफ्तार, स्पेशल कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेजा

नई दिल्लीः 3 अक्टूबर। बिजली चोरी के मामले में बीएसईएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आदतन बिजली चोर मकदूम के खिलाफ बिजली की स्पेशल कोर्ट ने गैरजमानती वॉरंट जारी किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया है।

जामा मस्जिद इलाके में चूड़ीवालां स्थित एक दुकान के मालिक मकदूम और उसके किरायेदार के खिलाफ बिजली चोरी के कुल चार मामले पकड़े गए थे। आखिरी मामला 17 दिसंबर, 2017 को चांदनी महल थाने में एफआईआर संख्या 234/15 के तौर पर दर्ज किया गया था। उसके बाद, बिजली की स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें स्पेशल कोर्ट ने मकदूम को जुर्माने के 30 प्रतिशत रकम का भुगतान करने का आदेश दिया। लेकिन न तो उसने कोर्ट के आदेश का पालन किया और न ही वह आगे की सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर हुआ। उसके बाद, कोर्ट ले मकदूम के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया।

स्पेशल कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वॉरंट पर अमल करते हुए, पुलिस ने मकदूम को गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया। बहस के बाद, कोर्ट ने मकदूम की जमानत याचिका खारिज करते हुए न सिर्फ उसे तिहाड़ जेल भेज दिया, बल्कि उसे बिजली चोरी के एक अन्य मामले में भी जुर्माने के 30 प्रतिशत रकम का भुगतान करने का आदेश दे दिया।

मकदूम पर, बिजली चोरी के पहले मामले में 1.3 लाख रूपये का जुर्माना किया गया था, जबकि दूसरे मामले में 3 लाख रूपये का जुर्माना किया गया था।

बिजली चोरी की जांच करने गई बीएसईएस टीमों पर हमला अधिकारी के कान का परदा फटा

पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार और पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ में अपनी ड्यूटी पूरी कर रही बीएसईएस टीमों पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर, अधिकारियों को घायल कर दिया।

यमुना विहार इलाके में स्थित चौहान बांगड़ में बीएसईएस की एक टीम बिजली चोरी की जांच कर रही थी, जब उन पर कुछ आपराधिक तत्वों ने बुरी तरह हमला कर दिया। इस हमले में बीएसईएस के एक अधिकारी के कान का परदा फट गया। उन्हें काफी चोटें भी आई हैं। बीएसईएस ने इस मामले में इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धाराओं 186, 353, 323, 336 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद दो हमलावरों को गिरफ्तार कर उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। हमलावरों ने जमानत के लिए दो बार अर्जी लगाई, लेकिन दोनों ही बार उनकी जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी।

पश्चिमी दिल्ली में नजफगढ़ के खरखरी गांव में बीएसईएस के छह सदस्यीय टीम पर 10–15 लोगों ने पत्थरों से हमला कर दिया। टीम बिजली चोरी की चेकिंग करने गई थी।

बिजली चोरी से न सिर्फ डिस्कॉम्स को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि बिजली के अनाधिकृत व अवैध लोड की वजह से बिजली वितरण नेटवर्क ओवरलोडेड हो जाता है, जिससे बिजली की आपूर्ति पर नकारात्मक असर पड़ता है।

उल्लेखनीय है कि कुछ इलाकों में अभी भी बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी हो रही है। अत्यधिक बिजली चोरी वाले इलाकों में प्रमुख हैं– करावल नगर, सीलमपुर, मंडावली, चांदनी चौक, चांदनी महल, तुर्कमान गेट, दरियागंज, यमुना विहार, नंद नगरी, दल्लूपुरा, नजफगढ़, जाफरपुर, मुंडका, बदरपुर, शाहीनबाग, आदि।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।

.....